



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1000

दिनांक- 04.05.2025

जोन- दक्षिणी/ थाना- बिजनौर

- अवैध मादक पदार्थ की बिक्री करने वाले एक नफर शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।
- कब्जे से 570 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

कार्यवाही विवरण-

श्रीमान पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ महोदय द्वारा चलाये जा रहे अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही के क्रम में पुलिस उपायुक्त दक्षिणी जोन कमिश्नरेट लखनऊ व अपर पुलिस उपायुक्त के कुशल निर्देशन में व सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री अरविन्द कुमार राणा थाना बिजनौर लखनऊ की पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में अवैध तरीके से गांजा बेचने वाला अभियुक्त दशरथ पाल पुत्र भैरव पाल निवासी आजाद नगर थाना कृष्णानगर लखनऊ को मय माल 570 ग्राम अवैध गांजा के गिरफ्तार कर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 139/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त उपरोक्त को आज पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 03.04.2025 को थाना बिजनौर पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र के ग्राम मौलवीखेड़ा से इठुरिया जाने वाली सड़क के दाहिने नाले के पास बनी झोपड़ी के अन्दर एक अर्धे उम्र का व्यक्ति एक काली पालीथिन में गांजा लिए आने जाने वाले ग्राहकों को बेच रहा था जिसके पास से 570 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है। अभियुक्त ने अपना नाम दशरथ पाल पुत्र भैरव पाल निवासी आजाद नगर थाना कृष्णानगर लखनऊ बताया। अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1- दशरथ पाल पुत्र भैरव पाल निवासी आजाद नगर थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ उम्र करीब 60 वर्ष

अपराध की प्रकृति-

अवैध गांजा बेचना।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट-सं0-995

दिनांक-04-05-2025

जोन - दक्षिणी/थाना-कृष्णानगर

- किशोरी के साथ छेड़खानी व गलत कार्य करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।
- थाना कृष्णानगर पुलिस की कार्यवाही।

01-कार्यवाही विवरण-

थाना कृष्णानगर पुलिस टीम द्वारा 07 वर्षीय नाबालिग किशोरी से छेड़खानी व गन्दा काम करने वाले एक 01 नफर वाँछित अभियुक्त मोहम्मद जैद पुत्र मोहम्मद समीम खान C/O विनीत का मकान, पजावा कॉलोनी थाना नाका कमि0 लखनऊ उम्र-31 वर्ष को आज दिनांक 04.05.2025 को समय 11.05 बजे गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-घटना का संक्षिप्त विवरण -

दिनांक-03.05.2025 को वादी मुकदमा की तहरीरी सूचना पर मु0अ0सं0-0206/2025 धारा 65(2)/75(2)/351(3) बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ, बनाम- मो0 जैद पुत्र अज्ञात पता अज्ञात, बाबत नामित अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा की पुत्री/पीड़िता उम्र 07 वर्ष से छेड़खानी व गन्दी हरकत करना, मना करने व किसी को बताने पर जाम माल की धमकी देने के सम्बन्ध में पंजीकृत किया गया।

मुकदमा उपरोक्त में शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्तगण गिरफ्तारी हेतु 02 टीमों गठित की गयी। जिनके द्वारा सीसीटीवी फुटेज अवलोकन, सीडीआर अवलोकन, ग्राउण्ड सूचना की सहायता से घटना में संलिप्त 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

03-मॉड्यूस ऑपरेंडी:-

गिरफ्तार शुदा अभियुक्त मोहम्मद जैद ने पूछताछ में बताया कि द्वारिकापुरी कालोनी विजयनगर कृष्णानगर में करीब 20 दिनों से पेटिंग का कार्य कर रहा था, पेटिंग के दौरान बच्चे खेलते हुये आते थे। अभियुक्त उपरोक्त द्वारा नाबालिग किशोरी बुलाकर उसके से साथ गलत हरकत एवं छेड़खानी करना।

अभियुक्त मोहम्मद जैद कक्षा 02 तक पढ़ाई कर लेबर का कार्य कर रहा है। अभियुक्त मूल रूप से बिहार के जिला सहर्षा का रहने वाला है वर्तमान में नाका थाना क्षेत्र के पजावा कालोनी में किराये पर रहकर पेटिंग का कार्य करता है।

04-अनावरित अभियोग-

01-मु0अ0सं0-0206/2025 धारा 65(2)/75(2)/351(3) बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ।

05-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता/व्यवसाय:-

01-मोहम्मद जैद पुत्र मोहम्मद समीम खान C/O विनीत का मकान, पजावा कॉलोनी थाना नाका कमि0 लखनऊ उम्र-31 वर्ष।

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

कोतवाली कृष्णानगर पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-996

दिनांक-04.05.2025

जोन- दक्षिणी/थाना कृष्णानगर

■ 01 नफर वारन्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

थाना कृष्णानगर पुलिस टीम द्वारा मा0 न्यायालय से निर्गत 01 अदद गैर जमानतीय अधिपत्र वाद सं0-6164/08 अ0सं0 270/07 धारा 447/448/420/467/468 भादवि0 थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 01 नफर वारन्टी अभियुक्त शिवबालक पुत्र शंकरलाल यादव निवासी- अलीनगर सुनहरा थाना कृष्णानगर लखनऊ उम्र करीब 58 वर्ष को आज दिनांक 03.05.2025 समय करीब 22.40 बजे अभियुक्त के निवास स्थान से गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गयी है । अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

01-शिवबालक पुत्र शंकरलाल यादव निवासी- अलीनगर सुनहरा थाना कृष्णानगर लखनऊ उम्र करीब 58 वर्ष।

वाद संख्या/मा0अ0सं0 व धारा-

01-वाद सं0- 6164/08 अ0सं0 270/07 धारा 447/448/420/467/468 भादवि0 थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

01- प्र0नि0 प्रद्युम्न कुमार सिंह, कोतवाली कृष्णानगर, कमि0 लखनऊ।

02- उ0नि0 श्री पंकज कुमार जायसवाल, कोतवाली कृष्णानगर, कमि0 लखनऊ।

03- उ0नि0 श्री आकाश सिंह, कोतवाली कृष्णानगर, कमि0 लखनऊ।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-997

दिनांक- 04.05.2025

जोन- उत्तरी / माल लखनऊ

- 07 नफर वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।
- उत्तरी जोन की थाना माल पुलिस की कार्यवाही।

01-सक्षिप्त विवरण:-

मा0 न्यायालय लखनऊ द्वारा निर्गत गैर जमानती वारंट-

01-वाद सं0 8802/17 मु0अ0सं0 328/16 धारा 4/10 वन संरक्षण अधि0 थाना माल से सम्बन्धित अभियुक्त लखपत पुत्र द्वारिका नि0 ग्राम रहटा थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ

02-वाद सं0 2903925/12 मु0अ0सं0 17/98 धारा 377/504 भादवि थाना माल से सम्बन्धित अभियुक्त रामलखन पुत्र रामभरोसे नि0 ग्राम अमलौली थाना माल जनपद लखनऊ

03-वाद सं0 4539/13 मु0अ0सं0 394 भादवि थाना माल से सम्बन्धित अभियुक्त नन्हक्के पुत्र बेचू नि0 ग्राम मसीढा रतन थाना माल जनपद लखनऊ

04-वाद सं0 60/14 मु0अ0सं0 381/13 धारा 323/353/504/506 भादवि थाना माल से सम्बन्धित अभियुक्त धामन सिंह उर्फ सत्या पुत्र राजेश सिंह नि0 कस्बा व थाना माल जनपद लखनऊ

05-वाद सं0 2907412/12 धारा 509 भादवि थाना माल से सम्बन्धित अभियुक्त मंगलू पुत्र मोहन नि0 ग्राम गोपरामऊ थाना माल जनपद लखनऊ

06-वाद सं0 1929/09 एनसीआर सं0 65/09 धारा 323/504 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त घासू पुत्र लुचई रैदास नि0 ग्राम मड़वाना थाना माल जनपद लखनऊ

07-वाद सं0 48637/17 एनसीआर नं0 134/16 धारा 323/504 भादवि से सम्बन्धित अभि0 राधेश्याम पुत्र रामदास नि0 ग्राम नरायणपुर थाना माल जनपद लखनऊ को उनके निवास स्थान क्रमशः रहटा, अमलौली, मसीढा रतन, कस्बा माल, गोपरामऊ, मड़वाना व नरायणपुर से गिरफ्तार किया गया, वारंटीगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय से अग्रिम एवं विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध का उद्देश्य:-

भिन्न-भिन्न



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं. 1001

दिनांक-04.05.2025

जोन- उत्तरी/ थाना-मलिहाबाद

- थाना मलिहाबाद पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी को किया गया गिरफ्तार ।

01-सक्षिप्त विवरण:-

माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत गैर जमानती वारंट वाद संख्या 1143/21 क्राइम नं0 0028/20 धारा 135 ईसी अधि0 से सम्बन्धित वारण्टी/अभियुक्त मकरन्द पुत्र स्व0 बसन्त ग्राम कसमण्डी खुर्द थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ उम्र करीब 65 वर्ष को उसके घर से दिनांक 04.05.2025 को गिरफ्तार किया गया, वारण्टी उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय से अग्रिम एवं विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

02- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. मकरन्द पुत्र स्व0 बसन्त ग्राम कसमण्डी खुर्द थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ उम्र करीब 65 वर्ष

03-सम्बन्धित वाद-

1. वाद संख्या 1143/21 क्राइम नं0 0028/20 धारा 135 ईसी अधि0

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1.प्रभारी निरीक्षक श्री सुरेन्द्र सिंह भाटी थाना मलिहाबाद लखनऊ
- 2.उ0नि0 श्री दीपक कुमार
3. का0 रवि यादव



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं. 1002

दिनांक- 04.05.2025

जोन- दक्षिणी / थाना- नगराम

- मा० न्यायालय में नियत तिथि पर उपस्थित नहीं हो रहे वारण्टी अभियुक्तगण/वांछित अभियुक्तगण के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना नगराम पुलिस टीम द्वारा 04 नफर वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

01-सक्षिप्त विवरण-

मा० न्यायालय में नियत तिथियों पर काफी लम्बे समय से उपस्थित नहीं हो रहे वारण्टी अभियुक्तगण 01.रामू पुत्र स्व० रामलखन उम्र करीब 33 वर्ष निवासी ग्राम मितौली थाना नगराम जनपद लखनऊ सम्बन्धित वाद सं०-84208/19 अ०स०-184/18 धारा-323/504/506/325 आई०पी०सी० थाना नगराम लखनऊ 02.भगौती प्रसाद पुत्र धनीराम उम्र करीब 65 वर्ष निवासी ग्राम छेदाखेडा मजरा समेसी थाना नगराम जनपद लखनऊ से सम्बन्धित वाद सं०-75741/21 अ०स०-271/19 धारा-498ए/323 आई०पी०सी० व ¾ डीपी एक्ट थाना नगराम लखनऊ 03.बजरंग पुत्र जागेश्वर उम्र करीब 45 वर्ष निवासी पालखेडा थाना नगराम लखनऊ संबन्धित वाद सं०-17093/15 अ०स०-115/13 धारा-325/323/504 आई०पी०सी० थाना नगराम लखनऊ 04.राकेश कुमार पुत्र बाबादीन उम्र करीब 35 वर्ष निवासी देवीखेडा मजरा पतौना थाना नगराम जनपद लखनऊ संबन्धित वाद सं०-82489/14 अ०स०-167/13 धारा-379/411 आई०पी०सी० थाना नगराम लखनऊ की गिरफ्तारी हेतु मा० न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ कक्ष सं०-28 लखनऊ महोदय द्वारा NBW वारण्ट निर्गत किया गया था। निर्गत वारण्ट के क्रम में वारण्टी अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु थानाध्यक्ष नगराम के निर्देशन में पुलिस टीम गठित की गयी थी। गठित पुलिस टीम द्वारा दिनांक 03.05.2025 को 04 नफर वारण्टी अभियुक्तगण को उनके घर पर दविश देकर गिरफ्तार किया गया। वारण्टी अभियुक्तगण के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

02-गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का विवरण-

- 01.रामू पुत्र स्व० रामलखन उम्र करीब 33 वर्ष निवासी ग्राम मितौली थाना नगराम जनपद लखनऊ
02. भगौती प्रसाद पुत्र धनीराम उम्र करीब 65 वर्ष निवासी ग्राम छेदाखेडा मजरा समेसी थाना नगराम लखनऊ
03. बजरंग पुत्र जागेश्वर उम्र करीब 45 वर्ष निवासी पालखेडा थाना नगराम लखनऊ
- 04.राकेश कुमार पुत्र बाबादीन उम्र करीब 35 वर्ष निवासी देवीखेडा मजरा पतौना थाना नगराम लखनऊ

03-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

01. उ०नि० गजेन्द्र सिंह अत्री
02. उ०नि० रजनीश कुमार
03. हे०का० राकेश कुमार मिश्रा
04. का० सुमित थापा



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं०-999

दिनांक- 04.05.2025

जोन- दक्षिणी/ थाना- सुशान्त गोल्फ सिटी

- 03 नफर वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।
- थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस की कार्यवाही।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 04.05.25 को वारण्टी अभियुक्त जोगेन्द्र रावत उर्फ बाबू पुत्र स्व० सुलहे खलीफा रावत निवासी हवीरपुर थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ उम्र करीब 23 वर्ष सम्बन्धित वाद सं० 309/23 मु०अ०स० 565/22 धारा 457/380/411 भादवि थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ, सरजू पुत्र नन्हकऊ निवासी आनन्दपुर मजरा बक्कास थाना सु०गो०सिटी लखनऊ वर्ष 60 वर्ष सम्बन्धित वाद संख्या 788/08 मु०अ०स० 465/07 धारा 325/323/504/506 भादवि थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ व हरीश रावत उर्फ बब्बू पुत्र राकेश निवासी मादरमऊ का पुरवा थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ उम्र करीब 21 वर्ष सम्बन्धित वाद सं० 108735/2023 मु०अ०स० 366/22 धारा 411/379 भादवि थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ जो काफी दिनों से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न होकर काफी दिनों से फरार चल रहे थे। जिन्हे माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत गिरफ्तारी अधिपत्र के आधार पर क्रमशः उ०नि० श्री विपिन कुमार व उ०नि० श्री संदीप कुमार शर्मा द्वारा उपरोक्त वारण्टी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. जोगेन्द्र रावत उर्फ बाबू पुत्र स्व० सुलहे खलीफा रावत निवासी हवीरपुर थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ उम्र करीब 23 वर्ष
2. सरजू पुत्र नन्हकऊ निवासी आनन्दपुर मजरा बक्कास थाना सु०गो०सिटी लखनऊ वर्ष 60 वर्ष
3. हरीश रावत उर्फ बब्बू पुत्र राकेश निवासी मादरमऊ का पुरवा थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ उम्र करीब 21 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

- 1 वाद सं० 309/23 मु०अ०स० 565/22 धारा 457/380/411 भादवि थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ बनाम जोगेन्द्र रावत उर्फ बाबू
2. वाद संख्या 788/08 मु०अ०स० 465/07 धारा 325/323/504/506 भादवि थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ बनाम सरजू
3. वाद सं० 108735/2023 मु०अ०स० 366/22 धारा 411/379 भादवि थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ बनाम हरीश रावत उर्फ बब्बू

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम दक्षिणी जोन लखनऊ

